

## गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

## **CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

## आकस्मिकता का लेखा जोखा जमा करने हेत् प्रपत्र Form for submitting accounts of Contingency

शोधार्थी का नाम:	नामांकन :	
Name of the Fellow:		
विभाग /केंद्र/संस्थान:		
Department /Centre /School:		
योजना का नाम: जे	आरएफ/एसआरएफ:	
Name of the Scheme:	JRF/SRF:	
आकस्मिकता की राशि:		
Rate of contingency:		
आकस्मिकता दावा वर्ष (अवधि):		
For the Year (period) of contingency claim:		
पहले दावा की गई आकस्मिकता :	से	_ तक (पिछली तिमाही)
Previously claimed contingency: from	to	(Last Quarter)
धनराशि : वि	नांक:	
Amount: Dated		
आकस्मिकता दावा: (निम्नलिखित वस्तुओं में)	से	तक (तिमाही)
	to	(Quarter)
धनराशि :दिनांक:		
Amount: Dated		

Chemical & Electrical Goods 6) यात्रा: Travel के संदर्भ में वि.अ.आ. योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से अध्येता के यह प्रमाणित किया जाता है कि रूपये की आकस्मिकता में से अनुदान राशि लिए उपलब्ध रुपये का व्यय किया गया है। यह व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया गया था। Certified expenditure that the of Rs. (Rupees \_), out of the contingency grant of Rs. \_\_ made available to the fellow through Bank under the UGC scheme in respect of utilized for the purpose for which it was sanctioned in accordance with the terms and conditions laid down by the University Grants Commission. यदि बाद में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो प्रतिदाय समायोजन या आपत्ति की गई धनराशि को नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। If any irregularity is noticed at a later stage, action will be taken to refund adjust or regularize the objected हस्ताक्षर हस्ताक्षर Signature Signature दिनांक: दिनांक: Date: Date: (उपरोक्त डेटा की जाँच कर उसे सत्यापित कर लिया गया है) छात्र का नाम: Name of Student (above data checked and verified) विभाग/केंद्र/संस्थान के अध्येतावृति प्रभारी Fellowship Incharge of Dept /Centre/School हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर Signature Signature Signature दिनांक और मोहर सहित दिनांक और मोहर सहित दिनांक और मोहर सहित (with Date & Stamp) (with Date & Stamp) (With Date & Stamp) मार्गदर्शक /पर्यवेक्षक: अधिष्ठाता विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष Guide/Supervisor: HoD /Chairperson Dean

(आकस्मिकता के लेखेजोखे का प्रपत्र मूल बीजकों के साथ केंद्र/ संस्थान में जमा करें। केंद्र/संस्थान को इन बीजकों का रिकॉर्ड रखना होगा और इन कागज़ातों के आधार पर डेटा की केवल संयुक्त सूची (अनुलग्नक के अनुसार) उचित माध्यम से वित्त विभाग को अग्रेषित करनी होगी)

(Submit form of account of Contingency with original bills to Centre/School. Centre/school have to keep these bills in records and on the basis of these document, only combined list of data (as per annexure) should be forwarded to Finance department through proper channel)